IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 9, Issue 5, September 2020
Impact Factor: 4.819

भारत में आन्दोलन की राजनीति

Politics of Afitation-in India

डॉ. राधिका देवी
सहाय्यक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान
ए.के.पी.(पी.जी.) कॉलिज, खुर्जा, जिला–बुलन्दषहर (उ.प्र.)

आधुनिक राजनीति–विज्ञान की नवीन विशेषता यह है कि राजनीतिक ढांचे में ''निर्णय–प्रक्रिया के अध्ययन पर अधिकाधिक जोर दिया जा रहा है तथा निर्णय–प्रक्रिया स्वीकार की जाने लगी है।''[1] निर्णय–प्रक्रिया को राजनीतिक व्यवस्था का अपरिहार्य तत्व माना गया है और राजनीतिक व्यवस्था की कटौती इसी बात पर निर्भर करती हैं कि उसमें सर्वसम्मत, सर्वहितकारी और प्रभावी निर्णय की क्षमताएं किस सीमा तक हैं? लोकतन्त्रात्मक शासन–व्यवस्था में तो निर्णय कदापि ऊपर से नहीं थोपे जा सकते और अच्छे निर्णयों की बात यही पहचान हैं कि समाज और राजनीति का कितना बड़ा वर्ग उन्हें समर्थन प्रदान करता हैं। वस्तुतः अच्छे निर्णय विभिन्न हित समूहों, सामाजिक समुदायों, राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के विभिन्न मतभेदों के सामंजस्य और समन्वयवादी रूख पर ही निर्भर करते हैं। सरकार का कार्य 'लोक इच्छा' जैसी भावात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति मात्र ही नहीं हैं अपितु विभिन्न दबाव मुदों के विरोधी दृष्टिकोणों और मांगों में तालमेल स्थापित कर राष्ट्रीय हित की अभिव्यक्ति करना है।[2] राष्ट्रीय हित का अभिव्यक्तिकरण उदार और उन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। यदि उदार और संवैधानिक साधनों से व्यक्ति और समुदाय शासन–संचालन में हिस्सेदारी बंटाना चाहते हैं तो वे संघ और संगठन बना करके,सत्ताधारी दल और सरकार विभिन्न अंगों में सक्रिय भागीदारी अदा करके अथवा जाति, धर्म, भाषा, विचारधारा के आधार पर निर्णय–प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। यदि उदार साधनों के माध्यम से नीति–निर्माताओं तक आवाज नहीं पहुंच पाती तो फिर उग्र प्रदर्शनात्मक मार्ग ही अपनाना मात्र विकल्प रह जाता है।[3]

पिछले कुछ वर्षों से भारतीय राजनीति में रैली, बन्द, भीड़, जन आन्दोलन, उग्र प्रदर्शन, जूलूस, हड़ताल आदि आम बात हैं। निर्वाचित सरकार का सार्वजनिक विरोध और प्रत्यक्ष कार्यवाही हमारे संसदीय लोकतन्त्र के सहचर प्रतीत होते हैं।[4] हमारी राज–व्यवस्था में, 'दबाव की राजनीति' की क्रमिक वृद्धि हो रही है और राजसत्ता किंकर्तव्यविमूढ़–सी प्रतीत होती है। शासक और शासितों के मध्य नए शक्ति–सन्तुलन का उदय होने लगा। महत्वपूर्ण निर्णय गलियों में भीड़ द्वारा लिए जाने लगे और विवेकसम्मत शासकीय निर्णयों की ऐतिहासिक परम्परा का अवसान हुआ।

आन्दोलन की राजनीति से अभिप्राय
(MEANING OF THE POLITICS OF AGITATION)

आन्दोलनकर्त्ता शब्द को विशेष ख्याति 17वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड के गृहयुद्ध में प्राप्त हुई जब क्रामवेल की सेना के प्रत्येक रेजीमेण्ट ने प्रतिनिधि निर्वाचित किए जिन्हें आन्दोलनकर्त्ता कहा जाता था। फ्रांसीसी क्रान्ति के समय इस शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया गया जिन्होंने उत्तरदायी ढंग से देश के भीतर दंगे–फसाद करने का प्रयत्न किया था। इंग्लैण्ड में इस शब्द का प्रयोग उन शान्तिपूर्ण और व्यवस्थित आन्दोलनों के लिए किया गया जिनका लक्ष्य लोकमत के संगठन द्वारा संसद को इस बात के लिए प्रेरित करना था कि वह विधायी सुधार करें। आधुनिक युग के सभी दक्षिणपन्थी और वामपन्थी दल 'आन्दोलन' शब्द का प्रयोग करते हैं और वे इसे दमनमूलक संस्कार तथा समाज–व्यवस्था के विरूद्ध लोकमत जाग्रत करने का

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 9, Issue 5, September 2020
Impact Factor: 4.819

उपयुक्त साधन समझते हैं। लोगों की उत्तेजना अथवा उनके अव्यवहार के कारण होने वाले उपद्रव को आन्दोलन कहा जा सकता है। किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार का प्रयत्न अव्यवस्थित ही हो। इसी आधार पर आन्दोलनकर्त्ता वह व्यक्ति हैं जो स्त्री–पुरूषों की एक बड़ी संख्या के चिन्तन तथा आचरण को उत्तेजना की दिशा मे मोड़े।

आन्दोलन की राजनीति को प्रत्यक्ष कार्यवाही के नाम से भी पुकारा जाता है। **रजनी कोठारी** ने प्रत्यक्ष कार्यवाही की परिभाषा इस प्रकार की है : प्रत्यक्ष कार्यवाही ऐसी एक संविधानेत्तर राजनीतिक तकनीक हैं जिसका प्रयोग किसी समूह द्वारा किसी राजनीतिक परिवर्तन के उद्देश्य से सरकार के विरूद्ध होता है। इस परिभाषा में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं–(i) प्रत्यक्ष कार्यवाही एक राजनीतिक तकनीकी हैं, (ii)इसका प्रयोग सत्ता के विरूद्ध होता हैं, (iii)इसके तरीके संविधानेत्तर होते हैं, राज्य के संविधान और कानून के विरूद्ध होते हैं, (iv)प्रत्यक्ष कार्यवाही सामूहिक होती हैं। या तो वह एक स्वतः प्रवर्तित जन आन्दोलन का रूप लेती हैं या उसका प्रयोग संगठित समूह द्वारा होता हैं, (v)प्रत्यक्ष कार्यवाही का उद्देश्य राजनीतिक परिवर्तन होता है। या तो उसका उद्देश्य सरकारी नीति या कार्यों में परिवर्तन करना होता है या सरकार में।

रजनी कोठारी ऐसी कार्यवाही को ही प्रत्यक्ष कार्यवाही की संज्ञा देते हैं जो संविधानेत्तर हो और जो सामूहिक हो। स्वभावतः ऐसी कार्यवाही जो वैधिक हो या जिसका प्रयोग किसी समूह द्वारा न होकर किसी व्यक्ति द्वारा होता हैं, इस परिभाषा की परिधि में नहीं आती। राजनीति विज्ञान के कतिपय विद्वान वैधिक कार्यवाही और व्यक्तिगत कार्यवाही की प्रत्यक्ष कार्यवाही मानते हैं। **बेले के** अनुसार आधुनिक भारत तें प्रत्यक्ष कार्यवाही छः रूप लेती है : (1) जुलूस और सभाएं, (2) बन्द, बहिष्कार और हड़ताल, (3) अनशन, (4) रूकावट पैदा करना, (5) स्वेच्छा से गिरफ्तार होना, व (6) दंगा। **बेले** के अनुसार वे कार्यवाहियां निम्न प्रकार से वर्गीकृत की जा सकती हैं :

बेलेने प्रत्यक्ष कार्यवाही को एक नया नाम दिया हैं– दबावपूर्ण सार्वजनिक विरोध इसकी तीन विशेषताएं हैं–(i)वह सामूहिक होता है, (ii)वह षडयन्त्रकारी या गुप्त न होकर सार्वजनिक होता हैं, और (iii)वह अपनी उपस्थिति और कार्यवाही के द्वारा सरकार को काम करने का प्रयास करता है।

आन्दोलन की राजनीति लोकतन्त्र को भ्रष्ट और विकृत कर देती हैं। आन्दोलन की राजनीति मनुष्य की विवेकशीलता के स्थान पर हठधर्मी में विश्वास रखती हैं। यह संकीर्ण, अतार्किक एवं कलहपूर्ण होती हैं तथा उसके हिंसक आन्दोलनों और अपयशकारी कार्यों की पूर्ण सम्भावनाएं बनी रहती हैं। इसमें एक पक्ष अपने मत को पूर्ण आदर्श एवं सत्य मानकर दूसरे पक्ष को 'येन–केन–प्रकारेण' स्वीकार करने के लिए बाध्य करता है।[5]

आन्दोलन के कारण
(CAUSES OF AGITATIONS)

देश में आन्दोलन की राजनीति के जीवाणु का आधार अनेक तत्वों का सामूहिक प्रतिफल हैं, जो इस प्रकार हैं :–

- **राजनीतिक निराषा–** जन आन्दोलन तथा हिंसात्मक प्रदर्शनी का कारण जनता में व्याप्त असन्तोष, निराशा तथा हताश स्थिति है। राजनीतिक दलों में यह विश्वास

घर करता जा रहा हैं कि संवैधानिक तरीकों से तो वे कभी सत्ता में आ नहीं सकते। सत्तारूढ़ दल को पदच्युत करने के लिए जनता में उत्तेजना फैलाना और आन्दोलन द्वारा सरकार को परेशान करना ही एकमात्र मार्ग प्रतीत होता है।[6]

- **प्रचलित षिक्षा पद्धति–** वर्तमान शिक्षा–पद्धति ने युवकों में निराशा की भावना भर दी है। हमारा युवक आशाओं एवं निराशाओं, बेकारी एवं अर्द्धबेकारी के भंवर में फंसा हुआ हैं। शिक्षित युवक पुस्तकों की आदर्शवादिता एवं जीवन की वास्तविक

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 9, Issue 5, September 2020
Impact Factor: 4.819

भयानकताओं के बीच परेशान हैं। इस मनोदशा में वह अपने शिक्षकों, नेताओं, आदि पर विश्वास करने की स्थिति में नहीं हैं। निराशाओं से छुटकारा पाने के लिए यदि वह आन्दोलन की राजनीति का सहारा लेता है तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए।[7]

- **सरकार दबाव की भाषा ही जानती है–** देश की आम जनता में यह विश्वास घर कर गया है कि हमारी सरकार केवल दबाव की भाषा ही जानती है। यदि सरकार के सामने न्यायोचित मांग प्रस्तुत की जाती है तो उसके कान पर तब तक जूं नहीं रेंगती जब तक तोड़–फोड़ और आन्दोलन के द्वारा आंधी नहीं खड़ी कर दी जाती है। जैसा कि **माइरन वीनर** ने लिखा है, ''सरकार कोई रियासत देने को भी तैयार होती है जब किसी जन–आन्दोलन में शान्ति और व्यवस्था को खतरा होता है, यह इसलिए नहीं कि सरकार (आन्दोलनकारियों की मांग) को उचित मानती है बल्कि इसलिए कि इससे सरकार को मांग करने वाले समुदाय की ताकत और उनकी विनाशिता की क्षमता का आभास होता है।''[8]

- **आर्थिक कारण–** आन्दोलन के लिए देश की बुरी आर्थिक स्थिति भी उत्तरदायी है। महंगाई एवं बढ़ते हुए मूल्यों के कारण देश की आर्थिक स्थिति संकटपूर्ण स्थिति में पहुंच गयी और आम आदमी की जीवन–यापन कठिन हो गया। राज्य भी केन्द्र से अधिक सहायता प्राप्त करने के लिए दबाव डालने लगे। उदाहरणार्थ, 11 सितम्बर, 1967 को अधिक चावल प्राप्त करने के लिए केरल के संयुक्त मोर्चे ने 'केरल बन्द' का आयोजन किया। पश्चिमी बंगाल की 14 दलों की संयुक्त मोर्चे की सरकार ने भी 24 अगस्त, 1967 को 24 घण्टे की हड़ताल का आयोजन किया। इसमें प्रधानमंत्री के निवास के सामने जो केरल राज्य के कैबिनेट मन्त्री भूख हड़ताल कर रहे थे उनको समर्थन देने के लिए यह हड़ताल की गयी थी। 24 घण्टे के लिए पूरे राज्य में सामान्य जीवन भी अस्त–व्यस्त हो गया था। यह केवल इसीलिए किया गया था कि खाद्य सामग्री के वितरण के प्रश्न पर पश्चिमी बंगाल के विरूद्ध कोई भेदभाव की नीति न बरती जाए।

- **आदर्ष नेतृत्व का अभाव–** स्वाधीनता के बाद देश में ऐसे नेतृत्व का उदय हुआ जो राष्ट्रहित के बजाय, दलीय हितों और वैयक्तिक स्वार्थों को प्राथमिकता देता है। आदर्श नेतृत्व के अभाव में छोटी–छोटी बातों को लेकर उग्र हिंसात्मक और आन्दोलनकारी तरीके अपना लिए जाते हैं।

- **प्रषासन में अकर्मण्यता–** भारत में प्रशासन के प्रति लोगों की अच्छी धारणा नहीं हैं। प्रशासन में अनावश्यक देरी होती हैं, लालफीताशाही, भ्रष्टाचार, अक्रियाशीलता आदि का बोलबाला है। जन–कल्याण से सम्बन्धित शीघ्र निर्णय नहीं लिए जाते जिससे आन्दोलन होते हैं।

- **राजनीतिक उत्तरदायित्व की भावना का अभाव–** भारत के सभी राजनीतिक दलों में उत्तरदायित्व की भावनाओं का अभाव पाया जाता हैं। किसी भी राजनीतिक मसलेपर वे तत्काल आन्दोलनात्मक रूप अपना लेते हैं। वे यह समझते हैं कि आन्दोलनों से जनता को अपने पक्ष में संगठित कर लेगें। अधिकांश आन्दोलनों का परिणाम हिंसा, तोड़–फोड़ और उत्तेजनात्मक गतिविधियां ही रहा है। कावेरी जलविवाद पर कर्नाटक और तमिलनाडु को आंदोलन एवं हिंसा के मार्ग पर धकेलने का संपूर्ण दायित्व वहां के मुख्यमंत्रियों का है। राज्य–व्यापी कर्नाटक बंद, जिसका आहवान दिसम्बर 1991 में सभी दलों ने मिलकर किया था, के दौरान राज्यभर में हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुई, हिंसा में एक दर्जन से अधिक लोग मारे गए।

- **विरासत का असर–** भारत में प्रत्यक्ष कार्यवाही के साधनों के प्रयोग का सबसे बड़ा कारण राष्ट्रीय आन्दोलन से प्राप्त विरासत है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में इन तरीकों का व्यापक प्रयोग हुआ और उनसे सफलता मिली। उनका असर यह पड़ा कि स्वतन्त्रता के बाद की बदली हुई परिस्थितियों में भी उसका प्रयोग होता है।[9]

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 9, Issue 5, September 2020
Impact Factor: 4.819

भारत में आन्दोलनों की विषेषताएं

(SALIENT FEATURES OF AGITATIONS IN INDIA)

प्रायः सभी देशों में आन्दोलन होते हैं किन्तु भारत में आन्दोलनों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जो इस प्रकार हैं :–

- **सरकारी आन्दोलन–** भारत में सरकारें भी आन्दोलन करती हैं और करवाती हैं। सरकारी आन्दोलन सत्तारूढ़ दल अथवा शासक दलों द्वारा संगठित किए जाते हैं। सरकारी आन्दोलन अपनी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए किए जाते हैं। इन आन्दोलनों में पुलिस का प्रयोग किया जाता है और ये आन्दोलन प्रभावशाली होते हैं।

●राजनीतिक आन्दोलन– विरोधी दलों द्वारा सत्तारूढ़ दल के विरूद्ध राजनीतिक आन्दोलन किए जाते हैं। ऐसे आन्दोलन का ध्येय सरकार की कमजोर बनाना और अपने पक्ष में लोकमत तैयार करना होता है।

●हिंसात्मक आन्दोलन– आन्दोलनों के दौरान हिंसा, तोड़–फोड़ की कार्यवाही भी की जाती है। कई बार व्यक्तिगत और सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है और लूटपाट की जाती हैं। गुजरात और बिहार में ऐसे ही उग्र हिंसात्मक आन्दोलन शुरू किए गए थे जिनकी परिणति आखिरकार हिंसा में ही हुई थी।

●अनषन– कभी–कभी 'सत्याग्रह' और 'अनशन' की भी घटनाएं हो जाती हैं। कतिपय महत्वपूर्ण नेता अनशन प्रारम्भ कर देते हैं ताकि उनकी अनुचित मांग को शीघ्र मान लिया जाए। अनशन भी एक तरह आन्दोलन ही है।

●विदेशों से प्रेरित–ऐसा कहा जाता है कि भारत में आन्दोलनकारियों को विदेशी लॉबी न केवल प्रेरणा देते हैं, अपितु धन और हथियार भी प्रदान करते हैं। नक्सलवादी आन्दोलनकर्ताओं तो माओ के भक्त थे और चीन से सहायता प्राप्त कर देश में अराजकतावादी कार्यवाहियां करते थे। पंजाब और कश्मीर में आतंकवादियों को तोड़फोड़ और हिंसा करने के लिए प्रशिक्षण और हथियार पाकिस्तान द्वारा दिए जा रहे हैं।

●राजनीतिक मांगो को लेकर आन्दोलन–भारत में अधिकांश आन्दोलनों का सम्बन्ध राजनीतिक मांगों से रहा है। बम्बई राज्य का विभाजन, आन्ध्र के निर्माण, पंजाबी सूबे की मांग, गुजरात का आन्दोलन अथवा बिहार का आन्दोलन, पंजाब मे अकाली आन्दोलन सभी राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित रहे हैं।

●कानून तथा व्यवस्था को भंग करना–आन्दोलनकारी कानून और व्यवस्था को जान–बूझकर भंग करते हैं। लोगों में उत्तेजना और असन्तोष फैलाने के साथ–साथ देश में अराजकता की व्यवस्था भी उनका ध्येय रहता है। रेल की पटरियां उखाड़ना, संचार व्यवस्था भंग करना, यातयात रोकना, आदि उनके लिए सामान्य बात हो जाती हैं। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि इन हरकतों से सामान्य जनता को कितनी तकलीफ होगी। वस्तुतः आन्दोलनों का ध्येय लोककल्याण न होकर क्षुद्र और घटिया किस्म का स्वार्थ ही होता है।[10]

आन्दोलन करने के उपाय

(RESULTS AND CURES)

देश में अनुशासन, व्यवस्था और स्थिरता लाने के लिए आन्दोलनों को समाप्त करना आवश्यक है। आन्दोलनों की राजनीति को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं :

●प्रतिपक्षी दलों के सुझाव का आदर– सरकार की विरोधी दलों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके रचनात्मक सुझावों को स्वीकार कर लेना चाहिए। संसद और विधानमण्डलों में उनके सुझावों की गम्भीरता से लेना चाहिए ताकि वे यह महसूस कर सकें कि राष्ट्र–निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 9, Issue 5, September 2020
Impact Factor: 4.819

●**उचित मांगो को स्वीकार करना–** शासन के विभिन्न घटकों को चाहिए कि जनता न किसी बात को लेकर असन्तोष पैदा न हो और जन–आन्दोलन से पहले ही उचित मांगो को स्वीकार कर लें।

●**उत्तरदायित्व की भावना का विकास–** देश के राजनीतिक दलों में उत्तरदायित्व की भावना पैदा करनी होगी। उन्हें वैधानिक उपायों का सहारा लेकर ही सत्ता प्राप्ति के प्रयास करने चाहिए। असंवैधानिक साधनों का प्रयोग करने वाले दलों की उपेक्षा की जानी चाहिए।

●**आर्थिक स्थिति में सुधार–** देश की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी दूर करने के सघन प्रयास किए जाने चाहिए जिससे निराशा और असन्तोष का वातावरण समाप्त हो सके। जनता सुखी, सन्तुष्ट और खुशहाल तभी हो सकती है जब उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। यदि मुद्रा–स्फीति को रोकने तथा मूल्य–वृद्धि को नियन्त्रित करने के लिए सरकारी प्रयास सफल हो जाते हैं तो अनुशासन का वातावरण कायम हो जाएगा। इस समय खाद्यात्रों की आपूर्ति, उनके उचित वितरण की व्यवस्था तथा दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने और गिराने के प्रश्न की प्राथमिकता देनी चाहिए।

●**जनता को षिक्षित करना–** रेडियो एवं टी.वी., सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक प्रश्नों के सम्बन्ध में जनता को शिक्षित करने का प्रयास किया जाएं। जनता को उत्तेजित करने वाले कोई प्रश्न जब उपस्थित हों तो दूरदर्शन को उस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं की जनता के सम्मुख रखना चाहिए। भारत की अधिकांश जनता आज भी अशिक्षित है। इसलिए समाचार–पत्रों की अपेक्षा रेडियो एवं टी0वी0, सोशल मीडिया सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली भूमिका अदा कर सकते हैं।[11]

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि अपनी सरकार के प्रति आन्दोलन की राजनीति का प्रयोग करना राष्ट्रद्यात ही है। आन्दोलनों से जातीय शक्ति में वृद्धि नहीं होती और राष्ट्र कमजोर बनता है। राष्ट्र के उत्थान एवं प्रगति के लिए आन्दोलन की राजनीति से राष्ट्र को बचना चाहिए। आन्दोलन की राजनीति को भारतीय राजनीति से हटाने के लिए देश में स्वस्थ राष्ट्रीयता का विकास होना परम आवश्यक है।

संदर्भ सूची :

[1]. चक्रवर्ती : 'प्रेशर ग्रुप्स इन वेस्ट बंगाल', ''दि इण्डियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइन्स'', अप्रैल–जून 1974, पृ0 172।

[2]. जॉन डिकिन्सन : उद्घृत, वी.ओ. की, ''पॉलिटिकल, पॉर्टीज एण्ड प्रेशर ग्रुप्स'', पंचम संस्करण, पृ0 7।

[3]. आमण्ड तथा पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था में हितों की अभिव्यक्ति के चार तरीके स्वीकार किए हैं–संस्थानात्मक, असंस्थानात्मक, प्रदर्शनात्मक और संघात्मक। ''कम्परेटिव पॉलिटिक्स'', पृ0 77।

[4]. के.सी. महेन्द्र : 'पब्लिक प्रोटेस्ट्स एण्ड सिविल लिबर्टीज इन इण्डिया', **'पॉलिटिकल साइन्स रिव्यू'**, पृ0 195–196।

[5]. डॉ0 पुखराज जैन एवं डॉ0 बी0एल0 फड़िया, भारतीय शासन एवं राजनीति, पृ. 741।

[6]. श्रीराम माहेश्वरी : एनोमिक सिचुएशन एण्ड पॉलिटिकल लेजिटिमेसी इन इण्डिया, पॉलिटिकल साइन्स रिव्यू, दिसम्बर–जनवरी 1974, पृ. 190।

[7]. रणजीत सिंह दरड़ा : भारतीय लोकतन्त्र और आन्दोलन की राजनीति', लोकतन्त्र समीक्षा, (1973), पृ0 108।

[8]. "The Politicians make demands to which the Government failsto respond. He then tuns to towards force to which Government does respond and therefore, convinced that only such mass pressure will move a static and conservative Government."

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 9, Issue 5, September 2020
Impact Factor: 4.819

[9]. Myron Weiner : Politics of Scarcity.

[10]. डॉ. पुखराज जैन एवं डॉ0 बी0एल0 फड़िया, भारतीय शासन एवं राजनीति, पृ. 746–747।

[11]. डॉ. पुखराज जैन एवं डॉ0 बी0एल0 फड़िया, भारतीय शासन एवं राजनीति, पृ. 747।

[12]. डॉ. पुखराज जैन एवं डॉ0 बी0एल0 फड़िया, भारतीय शासन एवं राजनीति, पृ. 749।